

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
 विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़, देहरादून- 248001  
 संख्या- 701 / XXV-12(10) / 2018 देहरादून : दिनांक 03 अप्रैल, 2021  
 सेवा में,

श्री राम सिंह रावत,  
 पुत्र स्व० श्री बीरबल सिंह रावत,  
 सी.जे.एम. कोर्ट कम्पाउंड,  
 चौधरी नैन सिंह ब्लॉक चैम्बर 19,  
 देहरादून, उत्तराखण्ड-248001,  
 मो० -9412055558

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अनुसार सूचना उपलब्ध करवाने विषयक महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका अनुरोध पत्र दिनांक 19 मार्च 2021 जो इस कार्यालय में दिनांक 30-03-2021 को प्राप्त हुआ है का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके द्वारा मांगी गई सूचना सामग्री को एकत्रित करने और इच्छित रूप में उपलब्ध करने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित दरों के आधार पर रू० 72.00(रू० बहत्तर) अतिरिक्त शुल्क देय होता है।

अतिरिक्त शुल्क का विवरण

| क्र०सं०               | सामग्री या व्यय की मद | दर   | कुल धनराशि |
|-----------------------|-----------------------|------|------------|
| बिन्दु संख्या-1       | 10                    | 2.00 | 20.00      |
| बिन्दु संख्या-2       | 16                    | 2.00 | 32.00      |
| बिन्दु संख्या-6 एवं 7 | 10                    | 2.00 | 20.00      |
| कुल                   |                       |      | 72.00      |

उक्त धनराशि को यथाशीघ्र बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक जो लोक सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के नाम बना हो प्रेषित करें।

मांगी गई सूचना को उपलब्ध करने सम्बन्धी कार्यवाही उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि के अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नहीं गिना जायेगा।

अन्य बिन्दुओं पर सूचना का विवरण निम्न प्रकार है-

|                 |   |
|-----------------|---|
| बिन्दु संख्या-3 | सूचना कार्यालय में धारित नहीं है।   |
| बिन्दु संख्या-4 | सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत समस्त लो०सू०अ०/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड को अनुरोध पत्र हस्तारित। |
| बिन्दु संख्या-5 | सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत समस्त लो०सू०अ०/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड को अनुरोध पत्र हस्तारित। |
| बिन्दु संख्या-8 | सूचना कार्यालय में धारित नहीं है।   |

भवदीय,

*B. S. Rawat*  
 (बसन्त सिंह रावत)

अनुभाग अधिकारी/  
 लोक सूचना अधिकारी।

पृ०संख्या 701 / XXV-12(10) / 2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि समस्त लो०सू०अ०/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को उक्त अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

*B. S. Rawat*  
 (बसन्त सिंह रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं  
 लोक सूचना अधिकारी।

सचिव/लोक सूचना अधिकारी  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय  
देहरादून, उत्तराखण्ड।

**विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अनुसार सूचना उपलब्ध करवाने विषयक।**

महोदय,

प्रार्थी को सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के आधार पर निम्न बिन्दुओं पर प्रमाणित अभिलेखित साक्ष्यों सहित सूचना उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

1. वर्ष 2020-21 हेतु प्रि-प्रिंटेड मतदाता पहचान पत्रों की छपाई हेतु मांगी गयी निविदा में अंतिम चयनित संस्था को जारी कार्यादेश एवं विभाग के साथ अनुबन्ध पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
2. फर्म को दिये गये अनुबंधों के आधार पर चयनित करने की मानक प्रक्रिया की छाया प्रति।
3. फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये गये मतदाता पहचान पत्र की गुणवत्ता मानकानुसार प्राप्त होने की सक्षम अधिकारी द्वारा देय प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
4. फर्म द्वारा अनुबंध के सापेक्ष निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध करवाये गये कुल मतदाता पहचान पत्रों की संख्या एवं साक्ष्य अभिलेख की प्रमाणित प्रति।
5. जिला निर्वाचन कार्यालयों को फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये गये मतदाता पहचान पत्रों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में किये गये पत्राचार/पत्र व्यवहारों की प्रमाणित छाया प्रति।
6. मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये गये मतदाता पहचान पत्रों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में जांच हेतु की गयी सिफारिश की प्रमाणित छाया प्रति।
7. फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये गये प्रि-प्रिंटेड मतदाता पहचान पत्रों की जांच हेतु किये गये पत्राचार की प्रमाणित छाया प्रति।
8. प्रि-प्रिंटेड मतदाता पहचान पत्रों की जांच के बाद प्राप्त रिपोर्ट की प्रमाणित छाया प्रति।

प्रार्थी



राम सिंह रावत  
पुत्र स्व: श्री बीरबल सिंह रावत  
एडवोकेट

पत्राचार का पता :

सी.जे.एम. कोर्ट कम्पाउंड

चौधरी नैन सिंह ब्लॉक चैम्बर 19  
देहरादून, उत्तराखण्ड-248001  
मो.- 9412055558

संलग्न : इण्डिया नॉन ज्यूडिशियल ई-स्टाम्प उत्तराखण्ड सरकार




सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

## e-Stamp

Certificate No. : IN-UK19251652657448T  
Certificate Issued Date : 19-Mar-2021 10:52 AM  
Account Reference : NONACC (SV)/ uk1207104/ DEHRADUN/ UK-DH  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK120710442126707231984T  
Purchased by : RAM SINGH RAWAT  
Description of Document : Article 4 Affidavit  
Property Description : NA  
Consideration Price (Rs.) : 0  
(Zero)  
First Party : RAM SINGH RAWAT  
Second Party : NA  
Stamp Duty Paid By : RAM SINGH RAWAT  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 10  
(Ten only)



पञ्चम कुमाराय गवा  
अध्यक्ष विक्रेता (राहवेक्स) सं-0-23  
कपहरी, देहरादून

-----Please write or type below this line-----

### Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcristamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.